

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

क्रमांक प. 1(13)शिक्षा/गुप-3/2024-04643

जयपुर, दिनांक :-हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सुश्री/श्रीमती /श्री/डॉ.)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	राजकुमार चतुर्वेदी	प्राचार्य	25-04-1965	30-04-2025	
2.	कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल	प्राचार्य	07-05-1965	31-05-2025	
3.	विश्राम लाल बैरवा	प्राचार्य	05-05-1965	31-05-2025	
4.	लक्ष्मीकान्त शर्मा	प्राचार्य	12-05-1965	31-05-2025	
5.	सुजाता चौहान	प्राचार्य	30-06-1965	30-06-2025	
6.	ममता वर्मा	प्राचार्य	28-07-1965	31-07-2025	
7.	प्रेमचन्द्र कम्बोडिया	प्राचार्य	26-07-1965	31-07-2025	
8.	धर्मेन्द्र पाल सिंह	प्राचार्य	31-08-1965	31-08-2025	
9.	फूल सिंह गुर्जर	प्राचार्य	22-09-1965	30-09-2025	
10.	अनिल कुमार सक्सेना	प्राचार्य	16-09-1965	30-09-2025	
11.	विजेन्द्र कुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक	09-09-1965	30-09-2025	
12.	सज्जन सिंह	प्राचार्य	01-10-1965	30-09-2025	
13.	उम्मेद सिंह	प्राचार्य	05-11-1965	30-11-2025	
14.	दीपक राज जैन	प्राचार्य	04-12-1965	31-12-2025	
15.	मंजू वर्मा	प्राचार्य	24-01-1966	31-01-2026	
16.	दिलसुख थालोर	प्राचार्य	15-01-1966	31-01-2026	
17.	ओम प्रकाश मीणा	प्राचार्य	01-04-1966	31-03-2026	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर तालिका में अंकित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Signature valid

Digitally signed by Harshabh Kumar Aditya

Designation : Deputy Secretary

Date: 2025.01.07 17:32:27 IST

Reason: Approved



3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारीगण द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar
Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.01.07 17:32:27 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1 () प्रशा./आकाशि /से.नि.2025-26/2024/-15744 दिनांक :

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी./स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अनिल कुमार यादव)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar
Yadav
Designation : Joint Director
Date: 2025.01.10 13:11:14 IST
Reason: Approved

